



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमपाय वन परिसर, जेल रोड, शीशनगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

29/08/2022

पत्र संख्या 1214/12-1 दिनांक, हल्द्वानी,

सेवा में,

वन संरक्षक,
परिचमी वृत्त,
हल्द्वानी।

विषय :-

Renewal of diversion of forest land 1497 ha of forest land favour of uttarakhand forest Development corporation mining Division, Haldwani for collection of minor Minerals from Gaula river in Haldwani and Tarai east Forest Division, Disti Nainital (Uttarakhand)(Online proposal No. FP/Uk/149754/20210)-reg.

संदर्भ :-

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का पत्रांक-332/12-1 दिनांक-16.08.2022, व पत्रांक-398/12-1 दिनांक-25.08.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-802/12-1 दिनांक-03.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त विषयक प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के पत्रांक-8-61/1999-FC(Pt.IV) दिनांक-12.05.2022 के द्वारा 9 बिन्दुओं पर आपत्तियों लगायी गयी। जिसमें बिन्दु सं0-3 में लगायी गयी आपत्ति का विवरण निम्न प्रकार है-

बिन्दु सं0-3-Proposed land falls within the Shivalik Elephant Reserve and as the substantial extent of river stretch has been proposed for mining, comments of PCCF (Wildlife) And CWLW on the likely impact of the project on wildlife in general and Elephant in particular may be obtained by the State and the same may be intimated to the Ministry.

आपत्ति के निराकरण हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून की टिप्पणी की आवश्यकता है। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-802/12-1 दिनांक-03.08.2022 द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया था। (संलग्न-1)

मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव प्रतिपालक महोदय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उचित माध्यम से पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रमाण-पत्र में हस्ताक्षर उपरान्त मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ के स्तर से प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को टिप्पणी हेतु प्रेषित किया जा सके।

पत्रांक:- 1214/

उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी।

o/c

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गौला राजि के अन्तर्गत प्रवाहित गौला नदी, गौला रोखड़, लालकुआं एवं खमियां वन ब्लाक, आरक्षित वन के अन्तर्गत हैं जो शिवालिक एलीफेन्ट रिजर्व के अन्तर्गत भी आता है। वन्य जीवों एवं हाथियों के आवागमन हेतु गौला नदी तल में देवरामपुर गेट के डाउन स्ट्रीम तथा लालकुआं गेट के अपस्ट्रीम के मध्य में 2.50 किमी⁰ क्षेत्र गौला कॉरीडोर के रूप में विनियुक्त है, जो चुगान हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र है, जिसमें वन्य जीवों का आवागमन बना रहता है।



वन सेवकारी,
गौला राजि
उत्तराई पूर्वी वन प्रभाग, हस्तानी



उप प्रभागीय वनाधिकारी,
गौला
उत्तराई पूर्वी वन प्रभाग, हस्तानी



प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराई पूर्वी वन प्रभाग, हस्तानी

प्रतिक्रिया

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हस्तानी

मुख्य वन संरक्षक
कुमाऊँ, उत्तराखण्ड
नैनीताल

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड, देहरादून